

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रं. प. 27(2)मंमं/2009


जयपुर, दिनांक: १.६.२०२२-

परिपत्र

राजस्थान कार्यविधि नियमों के नियम 31(1) के क्रम में इस सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.10.2020 में उल्लेखित निम्नांकित बिन्दु संख्या 4 एवं 5 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है:-

4. राज्य सरकार के स्तर पर निजी महाविद्यालय खोलने, उनमें सीट बढ़ाने/नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने एवं उनमें सीट बढ़ाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/स्वीकृति से संबंधित मामले।
5. राज्य सरकार के स्तर पर निजी महाविद्यालय द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स की फीस बढ़ाने एवं NRI सीट बढ़ाने से संबंधित मामले।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. सचिव (जी.जी.), मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
5. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन सचिव